



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29092022-239227
CG-DL-E-29092022-239227

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4397]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 29, 2022/आश्विन 7, 1944

No. 4397]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 29, 2022/ ASVINA 7, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2022

का.आ. 4587(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन्स (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई, भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 1976(अ) दिनांक 26 अप्रैल, 2022 जिसका प्रकाशन भारत के राजपत्र संख्या 1876, दिनांक 28 अप्रैल 2022 भाग II खण्ड 3 उपखण्ड (ii) में किया गया है। इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट राजस्थान राज्य की तहसील—बागोड़ा, जिला—जालौर की भूमि में राजस्थान राज्य में HRRL स्पर लाइन के अन्तर्गत मेहसाना—भटिण्डा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क के (SV-01) जालौर से HRRL रिफाइनरी, बाड़मेर तक प्राकृतिक गैस परिवहन के लिए, जीएसपीएल इंडिया गैसनेट लिमिटेड (जीआइजीएल) द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे "MBPL (SV-01) जालौर से HRRL स्पर लाइन परियोजना" के सम्बन्ध में पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त राजपत्र अधिसूचनाओं की प्रतियां जनता को तारीख 21 जून 2022 तक उपलब्ध करा दी गई थीं।

और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है।

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के उपयोग का अधिकार अर्जित किया जाए।

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर GSPL इंडिया गैसनेट लिमिटेड (GIGL) में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए GSPL इंडिया गैसनेट लिमिटेड (GIGL) पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

तहसील-बागोडा

जिला-जालौर

राज्य-राजस्थान

गांव का नाम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल		
		हैक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
मैया की ढाणी	417	00	00	93
	19	00	00	97
	17	00	04	59
	20	00	12	54
	21	00	02	53
	कुल	00	21	56

तहसील - सायला

जिला- जालौर

राज्य-राजस्थान

गांव का नाम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल		
		हैक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खारी	633/483	00	00	40
	480	00	04	28
	171	00	00	71
	कुल	00	05	39

तहसील-सिंघघरी

जिला-बाड़मेर

राज्य-राजस्थान

गांव का नाम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल		
		हैक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
लूणाकलां	264/114	00	35	88
	265/114	00	03	04
	109	00	21	89
	110	00	07	39
	111	00	01	15
	कुल	00	69	35
महादेव नगर	238	00	01	38
	242	00	03	85
	244	00	09	36

	कुल	00	14	59
चाडो की ढाणी	364	00	24	35
	कुल	00	24	35
सजाडा	265	00	04	39
	359	00	03	52
	860/356	00	04	20
	396/1	00	04	24
	400	00	00	40
	कुल	00	16	75
खारा महेचान	451/3	00	01	00
	392	00	00	40
	450	00	47	78
	853/453	00	08	55
	831/442	00	01	43
	कुल	00	59	16
बामणी	116	00	00	43
	120/1	00	01	56
	कुल	00	01	99
कालूओणी डूडियो की ढाणी	676/433	00	17	12
	कुल	00	17	12
देरासरनगर	115	00	00	40
	116	00	07	30
	122	00	04	29
	कुल	00	11	99

तहसील-पचपदरा

जिला-बाड़मेर

राज्य-राजस्थान

गांव का नाम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल		
		हैक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
कितपाला	308	00	00	92
	443	00	04	68
	570/436	00	30	44
	592/448	00	06	00
	422	00	17	70
	कुल	00	59	74
वरिया वरेचा	275/8	00	02	80
	कुल	00	02	80
जोगेश्वर महादेव	204	00	27	51

	774/205	00	44	23
	775/205	00	28	50
	967/206	00	18	89
	968/206	00	20	81
	966/206	00	02	22
	970/206	00	25	34
	965/220	00	54	08
	782/218	00	19	99
	221	00	29	77
	222	00	03	65
	कुल	02	74	99
तिलवाड़ा	432/190	00	00	40
	446/223	00	35	87
	447/223	00	32	58
	448/223	00	21	49
	786/223	00	38	91
	Road (In between khasra no. 786/223 and 847/223)	00	04	65
	847/368	00	17	86
	827/363	00	56	33
	832/363	00	28	77
	829/363	00	05	47
	828/363	00	26	78
	836/365	00	26	36
	835/365	00	18	50
	365/253	00	28	97
	837/366	01	06	05
	866/257	01	33	48
	325	00	40	02
	865/257	00	25	78
	979/280	02	15	52
	500/313	00	68	90
	312	00	02	20
	311	00	26	61
	341/309	00	55	40
	340/309	00	24	22

	306	00	34	57
	308	00	43	93
	339/308	00	08	19
	कुल	11	27	81
बोरावास	342	00	47	77
	344	00	21	18
	330	00	54	48
	कुल	01	23	43
कलावा	713/223	00	21	10
	1126/235	00	02	17
	235	00	24	90
	232	00	28	00
	227	00	19	54
	260	00	01	24
	261	00	01	46
	262	00	04	76
	1150/273	00	14	96
	738/273	00	07	43
	1149/273	00	40	87
	737/273	00	00	63
	747/276	00	25	14
	277	00	22	15
	278	00	18	02
	282	00	20	46
	750/283	00	19	38
	301	00	57	54
	295	00	13	35
	296	00	05	73
	308	00	45	84
	307	00	02	28
	1164/309	00	18	23
	1165/309	00	07	25
	305	00	04	42
	310	00	13	14
	319	00	00	88
	753/322	00	54	98

	1103/325	00	13	61
	1105/325	00	09	35
	327	00	54	98
	36	00	79	79
	1135/35	00	11	59
	1134/35	00	16	60
	1136/35	00	01	84
	547/39	00	07	89
	544/39	00	39	00
	546/39	00	34	59
	543/39	02	98	10
	28	00	02	05
	19	00	34	65
	20	00	00	56
	कुल	11	00	45
सांभरा	66	00	01	67
	66/143	00	02	06
	27/140	00	00	60
	27/139	02	12	48
	37/137	00	01	26
	290/27	01	09	30
	32	00	02	19
	293/29	01	05	81
	292/29	00	10	17
	291/29	04	24	12
	Road	00	04	35
	कुल	08	74	01

[फा. सं. एल-14014/53/2021-जीपी-II (ई-42411)]

राकेश मिश्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS
NOTIFICATION

New Delhi, the 27th September, 2022

S.O. 4587(E).—Whereas by the notification S.O. No. 1976(E) dated 26.04.2022 of The Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Published in the Gazette No 1876 dated 28.04.2022, Part-II, Section-3, Sub-Section (ii) issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and minerals pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (Hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land situated in Tehsil Bagoda, District Jalore in Rajasthan State, specified in the schedule

appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of Natural Gas from SV Station (Jalore) of Mehsana-Bhatinda Natural Gas Pipeline Network to HRRL Refinery (Barmer), a pipeline namely HRRL Refinery Spur Line should be laid in State of Rajasthan by GSPL INDIA GASNET LIMITED (GIGL).

And whereas the copies of the said Gazette notification were made available to the public on 21.06.22.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, has submitted his report Central Government.

And whereas, the Central Government after Considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of the user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user of the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vests on the date of publication of the declaration, in GSPL India Gasnet Ltd, (GIGL) free from all encumbrances.

GSPL India Gasnet Ltd, (GIGL) shall be exclusively liable for any compensation in terms of section 10 of the P & MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to pipeline.

SCHEDULE

TEHSIL -BAGODA

DISTRICT-JALORE

STATE- RAJASTHAN

Name of Village	Survey No.	Area		
		Hectare	Are	Sqm.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
MAIYA KI DHANI	417	00	00	93
	19	00	00	97
	17	00	04	59
	20	00	12	54
	21	00	02	53
	Total	00	21	56

TEHSIL -SAYALA

DISTRICT-JALORE

STATE- RAJASTHAN

Name of Village	Survey No.	Area		
		Hectare	Are	Sqm.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
KHARI	633/483	00	00	40
	480	00	04	28
	171	00	00	71
	Total	00	05	39

TEHSIL -SINDHARI

DISTRICT-BARMER

STATE- RAJASTHAN

Name of Village	Survey No.	Area		
		Hectare	Are	Sqm.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
LOONA KALAN	264/114	00	35	88
	265/114	00	03	04
	109	00	21	89
	110	00	07	39
	111	00	01	15
	Total	00	69	35
MAHADEV NAGAR	238	00	01	38
	242	00	03	85
	244	00	09	36
	Total	00	14	59
CHADO KI DHANI	364	00	24	35
	Total	00	24	35
SAJADA	265	00	04	39
	359	00	03	52
	860/356	00	04	20
	396/1	00	04	24
	400	00	00	40
	Total	00	16	75
KHARA MAHECHAN	451/3	00	01	00
	392	00	00	40
	450	00	47	78
	853/453	00	08	55
	831/442	00	01	43
	Total	00	59	16
BAMANI	116	00	00	43
	120/1	00	01	56
	Total	00	01	99
KALUONI DUDIYO KI DHANI	676/433	00	17	12
	Total	00	17	12
DERASAR NAGAR	115	00	00	40
	116	00	07	30
	122	00	04	29
	Total	00	11	99

TEHSIL –PACHPADRA

DISTRICT-BARMER

STATE- RAJASTHAN

Name of Village	Survey No.	Area		
		Hectare	Are	Sqm.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
KITPALA	308	00	00	92
	443	00	04	68
	570/436	00	30	44

	592/448	00	06	00
	422	00	17	70
	Total	00	59	74
VARIYA VARECHA	275/8	00	02	80
	Total	00	02	80
JOGESHWAR MAHADEV	204	00	27	51
	774/205	00	44	23
	775/205	00	28	50
	967/206	00	18	89
	968/206	00	20	81
	966/206	00	02	22
	970/206	00	25	34
	965/220	00	54	08
	782/218	00	19	99
	221	00	29	77
	222	00	03	65
	Total	02	74	99
TILWARA	432/190	00	00	40
	446/223	00	35	87
	447/223	00	32	58
	448/223	00	21	49
	786/223	00	38	91
	Road (In between khasra no. 786/223 and 847/223)	00	04	65
	847/368	00	17	86
	827/363	00	56	33
	832/363	00	28	77
	829/363	00	05	47
	828/363	00	26	78
	836/365	00	26	36
	835/365	00	18	50
	365/253	00	28	97
	837/366	01	06	05
	866/257	01	33	48
	325	00	40	02
	865/257	00	25	78
	979/280	02	15	52
	500/313	00	68	90
	312	00	02	20

	311	00	26	61
	341/309	00	55	40
	340/309	00	24	22
	306	00	34	57
	308	00	43	93
	339/308	00	08	19
	Total	11	27	81
BORAWAS	342	00	47	77
	344	00	21	18
	330	00	54	48
	Total	01	23	43
KALAWA	713/223	00	21	10
	1126/235	00	02	17
	235	00	24	90
	232	00	28	00
	227	00	19	54
	260	00	01	24
	261	00	01	46
	262	00	04	76
	1150/273	00	14	96
	738/273	00	07	43
	1149/273	00	40	87
	737/273	00	00	63
	747/276	00	25	14
	277	00	22	15
	278	00	18	02
	282	00	20	46
	750/283	00	19	38
	301	00	57	54
	295	00	13	35
	296	00	05	73
	308	00	45	84
	307	00	02	28
	1164/309	00	18	23
	1165/309	00	07	25
	305	00	04	42
	310	00	13	14
	319	00	00	88
	753/322	00	54	98
	1103/325	00	13	61

	1105/325	00	09	35
	327	00	54	98
	36	00	79	79
	1135/35	00	11	59
	1134/35	00	16	60
	1136/35	00	01	84
	547/39	00	07	89
	544/39	00	39	00
	546/39	00	34	59
	543/39	02	98	10
	28	00	02	05
	19	00	34	65
	20	00	00	56
	Total	11	00	45
SAMBHRA	66	00	01	67
	66/143	00	02	06
	27/140	00	00	60
	27/139	02	12	48
	37/137	00	01	26
	290/27	01	09	30
	32	00	02	19
	293/29	01	05	81
	292/29	00	10	17
	291/29	04	24	12
	Road	00	04	35
	Total	08	74	01

[F. No. L-14014/53/2021-GP-II (E-42411)]

RAKESH MISHRA, Under Secy.